न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 131/2011

वादी :-

1. भंवरलाल पुत्र रावतराम
जाति-कुमावत, निवासी-बेरा
अजमेरिया निमाज,
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पुकाराम पुत्र रावतराम
2. लालूराम पुत्र रामाराम
जातियान - कुमावत
निवासीगण-बेरा अजमेरिया निमाज
3. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तह0-जैतारण (जिला-पिाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.27/06/2011

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 14/03/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-निमाज-चक-द्वितीय, पटवार हल्का-निमाज-।।, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1546 रकबा 0-11 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं खसरा नम्बर 1547 रकबा 80-16 बीघा किस्म चाही द्वितीय, कुल किता-2 कुल रकबा 81-07 बीघा की आई हुई हैं। जिसके पक्षकारान रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबन्दी इस भूमि की वाद पत्र के साथ पेश की हैं। इस भूमि में वादी का 1/4वां हिस्सा आता हैं। इसी हिस्से के अनुसार वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/4 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादी संख्या 2 शेष 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस भूमि को वाद पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश वाद पत्र के साथ पेश की हैं। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। उक्त विवादित भूमि की वर्तमान में कीमतें बढ़ गई हैं। इसी वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 की नियत अब खराब हो गई हैं। उक्त भूमि संयुक्त व शामलाती होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 माठ व बंटवाड़ा को लेकर के व रास्ते को लेकर के वाद विवाद करता हैं, उक्त भूमि कृषि भूमि हैं। जो कृषि कार्यो के अलावा अन्य किसी प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली जा सकती हैं। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक जबरदस्ती इस विवादित भूमि पर कच्चा पक्का निर्माण भी करवा रहा हैं। जबकि अभी तक इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं तथा इस विवादित भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी क्रेता को बेचान कर देना चाह रहा हैं तथा अपने हक हिस्से से ज्यादा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भूमि पर बतौर अतिक्रमी के कब्जा कर लेना चाहता हैं। जिस पर वादी ने
प्रतिवादीगण संख्या एक व दिगर प्रतिवादीगण को इस विवादित भूमि का बाई मिट्स
एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने के लिये कई बार निवेदन किया। वादी अपने हक
हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा
आवश्यक हैं। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक द्वारा नहीं मानने व मौके पर बिना
बंटवाड़ा करवाये ही संयुक्त व शामलाती भूमि पर जबरदस्ती पक्का निर्माण बनाने के
लिये ईट, बजरी, पत्थर व निर्माण सामग्री लाकर निर्माण कार्य करवाने का प्रयास
शुरू कर देने पर व वादी द्वारा बंटवाड़ा किये जाने से पहले निर्माण नहीं करवाने एवं
बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का कहने पर दिनांक 17/06/2011 को
ऐसा बंटवाड़ा कराने से प्रतिवादी संख्या एक ने स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया। तब
इस अवस्था में वादी के पास यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा
अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध
प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त व
शामलाती हैं। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं।
प्रतिवादीगण संख्या एक बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो इस कृषि भूमि को अकृषि
प्रयोजनार्थ काम में लेने हेतु मौके पर बिना बंटवाड़ा करवाये ही मकानों का निर्माण
भी करवा रहा हैं तथा इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी क्रेता को बेचान कर
इस भूमि के बहुमूल्य व उपयोगी स्थल का कब्जा भी अजनबी क्रेता को सौप देना
चाह रहा हैं। साथ ही वादी को उनके हक हिस्से की भूमि में आवागमन करने में
बाधा व अड़चन भी पैदा कर रहा हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक की नियत बद हैं। वह
वादी के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहा हैं
व इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को बेचान कर अजनबी क्रेता को सौप देना चाह रहा
हैं। इसी नियत से आयेदिन वाद विवाद कर रहा हैं। वादी कानून को मानने वाले
शांत प्रवृति का व्यक्ति हैं। जिनके कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या एक जबरदस्ती
बाधा व अड़चन पैदा कर रहा हैं तथा वादी को उनके आराजी में प्रवेश करने से भी
रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रहा हैं तथा मौके पर पक्का निर्माण भी करवा
रहा हैं, प्रतिवादीगण संख्या एक वादी व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर
भी नहीं मान रहा हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती
लाठी-लकड़ियों के बल पर वादी को बेदखल कर शामलाती भूमि पर जबरदस्ती मकान
बना लिया, तो वादी अपने खातेदारी भूमि का उपयोग / उपभोग करने से
हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी
क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध
कृत्यों व निर्माण कार्य का विरोध करेगें। जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ
प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प
शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश
किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के
प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये
हैं। बिनायवाद दिनांक 17/06/2011 को प्रतिवादीगण संख्या एक द्वारा उक्त आराजी
का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने पर व
शामलाती भूमि पर जबरदस्ती अपने मकान का निर्माण कार्य शुरू करवा देने पर
बमुकाम-निमाज-द्वितीय तहसील-जैतारण जिला-पाली में उत्पन्न होता हैं, जो अन्दर
म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 28/07/2011 को की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से मय श्री ओमप्रकाश पंचारिया अधिवक्ता ने दिनांक 26/04/2012 को प्रतिवाद-पत्र एवं काउन्टर क्लेम पेश कर संलग्न नजरी नक्शा में अंकितानुसार भूमियों का विभाजन किया जाकर वादी की भूमि के साथ-साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 की भूमि का भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। काउन्टर क्लेम का जबाब वकील मय वादी द्वारा पेश करना नहीं चाहने से जबाब काउन्टर क्लेम दिनांक 01/10/2013 को बन्द किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर उक्त विवादित भूमि पर पक्षकारानों के कब्जे काश्त अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर अर्थात् प्राथमिक डिक्री जारी करके वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा माफिक राजस्व रिकॉर्ड किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। बहस के जबाब में विद्वान वकील प्रति0 संख्या 1 ने प्रतिवाद-पत्र एवं काउन्टर क्लेम मय संलग्न नजरी नक्शा की ओर ध्यान आकृष्ठ करते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये जाने की ईश्तदुआ कर स्वीकारोक्ति / सहमति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अर्थात् वाद-पत्र वादी, प्रतिवाद-पत्र एवं काउन्टर क्लेम्स मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का माफिक राजस्व रिकॉर्ड एवं काउन्टर क्लेम्स के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मौके पर कब्जे काश्त अर्थात् मौके अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना एवं बंटवाड़ा मौके पर करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-निमाज-चक-द्वितीय, पटवार हल्का-निमाज-।।, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1546 रकबा 0-11 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं खसरा नम्बर 1547 रकबा 80-16 बीघा किस्म चाही द्वितीय, कुल किता-2 कुल रकबा 81-07 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2014/134 दिनांक 27/01/2014 एवं स्मरण पत्र पत्रांक/कोर्ट /14/1171 दिनांक 02/12/2014 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक/राजस्व/14/651 दिनांक 11.04.2014 व 2135 दिनांक 04.12.2014 द्वारा अपूर्ण पालना प्रस्तुत की, सा0मि0 हैं। वादी एवं प्रति0 सं0 1 ने तहरीरी राजीनामा मय नजरी नक्शा रंगीन दिनांक 03.12.2014 को पेश किया, जिसे बाद तस्दीक सा0मि0 किया गया। प्राथमिक डिक्री मय राजीनामा एवं रंगीन नक्शा नजरी की प्रति तहसीलदार जैतारण को पत्रांक/ कोर्ट /14 /1181 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

04.12.2014 द्वारा प्रेषित कर पूर्ण पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मंगवाई गई। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /राजस्व/14/2241 दिनांक 01/01/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव फर्द मौका दिनांक 26.12.2014 मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक दिनांक 26.12.2014 बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। बहस के जबाब में वकील प्रति0 सं0 1 ने तथा बंटवाडा रिपोर्ट दिनांक 26.12.2014 पर उभय पक्षों एवं मौत बिरान दिगर व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित करके माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की अर्थात् सहमति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 25.12.2014 पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26/12/14 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 26.12.2014 डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निमाज-चक-द्वितीय, पटवार हल्का-निमाज-II, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1546 रकबा 0-11 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं खसरा नम्बर 1547 रकबा 80-16 बीघा किस्म चाही द्वितीय, कुल किता-2 कुल रकबा 81-07 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	लालुराम पुत्र रामाराम कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1547/3	40-06-00	चा0सो0	37.40 रू.
2	भंवरलाल पुत्र रावतराम कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1547/1 1547/4 1547/6	0-18-00 10-00-00 9-05-00	चा0सो0 चा0सो0 चा0सो0	18.70 रू.
	योग	3	20-03-00		18.70 रू.
3	पुकाराम पुत्र रावतराम कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1547/2 1547/5 1547/7	0-18-00 9-05-00 10-00-00	चा0सो0 चा0सो0 चा0सो0	18.70 रू.
	योग	3	20-03-00		18.70 रू.
4	लालुराम पुत्र रामाराम 1/2, भंवरलाल पुत्र रावतराम पुकाराम पुत्र रावतराम ब.हि.ब. 1/2 कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1546 1547	0-11-00 0-04-00	गै.मु.बेरा आजमेरिया चा0सो0 (रास्ता हेतु)	0.02 रू.
	योग	2	0-15-00		0.02 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.12.2014 निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 26.12.2014 की छायाप्रतियां भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रुल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-

1. भंवरलाल पुत्र रावतराम
जाति-कुमावत, निवासी-बेरा
अजमेरिया निमाज,
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पुकाराम पुत्र रावतराम
2. लालूराम पुत्र रामाराम
जातियान - कुमावत
निवासीगण-बेरा अजमेरिया निमाज
3. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तह0-जैतारण (जिला-पिली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:131/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 26.12.2014 डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निमाज-चक-द्वितीय, पटवार हल्का-निमाज-।।, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1546 रकबा 0-11 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं खसरा नम्बर 1547 रकबा 80-16 बीघा किस्म चाही द्वितीय, कुल किता-2 कुल रकबा 81-07 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	लालुराम पुत्र रामाराम कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1547/3	40-06-00	चा0सो0	37.40 रू.
2	भंवरलाल पुत्र रावतराम कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1547/1 1547/4 1547/6	0-18-00 10-00-00 9-05-00	चा0सो0 चा0सो0 चा0सो0	18.70 रू.
	योग	3	20-03-00		18.70 रू.
3	पुकाराम पुत्र रावतराम कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1547/2 1547/5 1547/7	0-18-00 9-05-00 10-00-00	चा0सो0 चा0सो0 चा0सो0	18.70 रू.
	योग	3	20-03-00		18.70 रू.
4	लालुराम पुत्र रामाराम 1/2, भंवरलाल पुत्र रावतराम पुकाराम पुत्र रावतराम ब.हि.ब. 1/2 कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार।	1546 1547	0-11-00 0-04-00	गै.मु.बेरा अजमेरिया चा0सो0 (रास्ता हेतु)	0.02 रू.
	योग	2	0-15-00		0.02 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.12.2014 निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 26.12.2014 की छायाप्रतियां भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	2=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	3=00
स्टाम्प वजह सबूत	1=00	महनताना वकील	—
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	—
खर्चा गवाहान	—	फीस कमीश्नर	—
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	—
बाबत ईजराय हुक्मनामा	2=00	मुत्फरिक	—
मिजानः–	6=00	मिजानः–	5=00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner